

राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वी० संख्या-4/यो० बजट-68/2015 17/स्वी० द०प०, राँची, दि०- 16.6.2015

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
पो०-डोरण्डा,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण की योजना के लिए कुल 152.000 लाख (एक करोड़ बावन लाख) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल रू० 993.380 (नौ करोड़ तिरानबे लाख, अड़तीस हजार) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. इस योजना अंतर्गत विभागीय वन प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण हेतु उनके उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पारितोषित वितरण किया जाएगा।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों के अंतर्गत कार्यरत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/इको विकास समितियों के कार्यों का पारदर्शितापूर्ण आकलन करने हेतु स्वतः स्पष्ट मानक निर्धारित किए जाएँगे, जिनके आधार पर विभिन्न वन प्रमंडल पदाधिकारियों, वन संरक्षकों एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के स्तर पर इन समितियों के कार्यों का आकलन करते हुए प्रेरणा स्वरूप परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निम्नांकित कंडिका-4 में वर्णित राशि दृष्टिगत रखते हुए चयनित किया जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा इस आशय की सूचना से विभाग को अवगत कराया जाएगा।

16/6

चयनित विभिन्न समितियों को राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2015 के सुअवसर पर सम्मानित किया जाएगा।

4. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल 152.000 लाख (एक करोड़ बावन लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1 क से ग) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख में)

क्र०	कार्य विवरणी	संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह समिति की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समूह)	इकाई का नाम	2015-16	कुल
1	रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना	3 परिक्षेत्रों में	प्रथम-6.00 लाख रुपये द्वितीय-4.00 लाख रुपये एवं तृतीय-2.00 लाख रुपये कुल 12.00 लाख रुपये प्रति रीजन	मजदूरी	33.000	33.000
				आपूर्ति एवं सामग्री	3.000	3.000
				प्रशिक्षण	0.000	0.000
कुल					36.000	36.000
2	ग्रामडल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना		प्रथम-3.00 लाख रुपये द्वितीय-2.00 लाख रुपये एवं तृतीय-1.00 लाख रुपये कुल 6.00 लाख रुपये प्रति रीजन	मजदूरी	76.000	76.000
				आपूर्ति एवं सामग्री	33.250	33.250
				प्रशिक्षण	4.750	4.750
कुल					114.000	114.000
3	गैर सरकारी संस्थानों/ स्वयं सेवी संस्थानों एवं अन्य संस्थानों द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के प्रोत्साहन हेतु दो लाख रुपये का वार्षिक "मुख्यमंत्री पर्यावरण पुरस्कार"			मजदूरी	1.600	1.600
				आपूर्ति एवं सामग्री	0.400	0.400
				प्रशिक्षण	0.000	0.000
कुल					2.000	2.000
इकाईवार सकल योग :-				मजदूरी	110.600	110.600
				आपूर्ति एवं सामग्री	36.650	36.650
				प्रशिक्षण	4.750	4.750
सकल योग					152.000	152.000

17/स्वी०
16.6.2015

राशि का नाम	व्यय	क्रमांक	राशि (रुपये)	विवरण
मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	225.400	110.500
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	732.280	36.650
	प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	14.700	4.750
कुल स्वीकृत राशि- (एक करोड़ बावन लाख रुपये)			993.380	152.000

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

11/2 17/स्वी०
16.6.2015

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

13. संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन/गुणवत्ता का घयन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जायेगा। स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किये गये अनुशंसाओं की एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371, दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

h/p

17/स्वी०

16.6.2015

विश्वासभाजन

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक - 4/यो0 बजट-68/2015 17/स्वी. व0प0/राँची, दिनांक- 16.6.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विभाग, झारखंड, झारखंड, राँची / योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, राँची / वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक - 4/यो0 बजट-68/2015 17/स्वी. व0प0/राँची, दिनांक- 16.6.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम-5.00 लाख रुपये, द्वितीय-4.00 लाख रुपये एवं तृतीय-3.00 लाख रुपये कुल 12.00 लाख रुपये प्रति रीजन) एवं प्रशिक्षण का कार्य

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी/भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16			
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण(राँची रीजन हेतु)	11.000	1.000	0.000	12.000
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण(जमशेदपुर रीजन हेतु)	11.000	1.000	0.000	12.000
3	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण(दुमका रीजन हेतु)	11.000	1.000	0.000	12.000
योग :-			33.000	3.000	0.000	36.000

परिशिष्ट- 1(ख)

प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम-3.00 लाख रुपये, द्वितीय-2.00 लाख रुपये एवं तृतीय-1.00 लाख रुपये कुल 6.00 लाख रुपये प्रति वन प्रमण्डल) एवं प्रशिक्षण का कार्य


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16			
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	4.000	1.750	0.250	6.000
2	लोहरदगा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	4.000	1.750	0.250	6.000
4	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	4.000	1.750	0.250	6.000
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
6	दुमका वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
7	साहेबगंज वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
8	गोड्डा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
9	पाकुड़ वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
10	जामताड़ा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
11	सारण्डा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
12	कोल्हान वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
13	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
14	चाईबासा वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
15	सर्राईकेला वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
16	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
17	लातेहार वन प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
18	राँची वन्यप्राणी प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
19	जमशेदपुर गज परियोजना प्रमण्डल	4.000	1.750	0.250	6.000
योग :-		76.000	33.250	4.750	114.000

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

“मुख्यमंत्री पर्यावरण पुरस्कार”
कार्य संचालन का वार्षिक

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16			
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1.600	0.400	0.000	2.000
योग :-		1.600	0.400	0.000	2.000
सकल योग :-		110.600	36.650	4.750	152.000

1/10/16


(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।